

2022/173



फर्द अहकाम

पांचू

बनाम ओमप्रकाश

तलय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 101/2022

क्र. आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1.07.2022	<p>यह दावा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर </p> <p>01/8/22 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे। अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 07/10/22 को पेश हो।</p> <p>7/6 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं है। वादी वादी को उपस्थित है। व्यापारिक कर्तव्य के कारण वाद आवाजे लगावायी जाये परन्तु वा तो वादी को उपस्थित ना ही वादी की ओर से कोई वकील आदि उपस्थित नहीं है। पत्र वादी का वाद अदालत हाजिरी अदालत परकी से खाली किया जाता है। पत्रावली पत्रावली से वाद होकर वाद वकील वादी को उपस्थित है।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	